

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर
पत्रांक 467/14-1 दिनांक, कानपुर, अगस्त, 8/ 2025

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश लखनऊ

विषय:- साउथ ईस्ट यूपी पावर ट्रांसमिशन लि0 द्वारा 765 के0वी0 सिंगल सर्किट
मैनपुरी-उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मैनपुरी में प्रभावित 1.5364 हे0 संरक्षित
वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 238 वृक्षों के पातन, कन्नौज में प्रभावित 0.32 हे0
संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 8 वृक्षों के पातन, , कानपुर में प्रभावित 0.
8155 हे0 संरक्षित एवं 3.5583 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 398
वृक्षों के पातन तथा उन्नाव में प्रभावित 0.6813 हे0 संरक्षित एवं 8.7003 हे0 आरक्षित
वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 1502 वृक्षों के पातन अर्थात् 3.3532 हे0 संरक्षित एवं
12.2586 हे0 आरक्षित वनभूमि कुल 15.6118 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं
बाधक 2146 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 35/11-सी-FP/UP/Trans/ 21539/2016 दिनांक 02.07.2025।
महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,
कानपुर ने अपने पत्रांक 96/14-1 दिनांक 10.07.2025 से भारत सरकार की पत्र संख्या
8बी/यू0पी0/04/08/2025/एफ0सी0 129 दिनांक 01.07.2025 द्वारा कानपुर वन प्रभाग से
सम्बन्धित आपत्ति बिन्दु संख्या-6 का निराकरण कर विवरण/आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध
करायी है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर द्वारा विषयगत प्रकरण
सम्बन्धित आपत्ति बिन्दु संख्या-6 आख्या/विवरण संलग्न कर परिवेश पोर्टल 1.0 पर ऑनलाइन
अपलोड कर आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-यथोपरि

भवदीय

(एन0के0 जानू)

मुख्य वन संरक्षक

कानपुर मण्डल, कानपुर

संख्या: अ/ समदिनांकित

प्रतिलिपि:- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर को उनके पत्रांक
96/14-1 दिनांक 10.07.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एन0के0 जानू)

मुख्य वन संरक्षक

कानपुर मण्डल, कानपुर